



केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली 110067

प्रथम अपील सं CICOM/A/P/25/00066
संदर्भ संचिका सं. Nill
अपीलकर्ता श्री सिद्धनाथ दास

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	30.12.2024
संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने की तिथि	Nill
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	Nill
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	Nill
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	17.02.2025
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्रथम अपील आवेदन प्राप्त होने की तिथि	04.03.2025
निर्णय की तारीख	12.03.2025

1. मांगी गई सूचना

अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 30.12.2024 के आर.टी.आई आवेदन के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं मांगी गई थी :-

“सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना देने की कृपया करेंगे कि (i) यदि सूचनावेदन का प्रथम अपील किसी अन्य कार्यालय /विभाग का प्राधिकार में सूचनावेदक द्वारा प्रेषित किया गया हो तब उस कार्यालय /विभाग का प्राधिकार को संबंधित कार्यालय/विभाग पर प्राधिकार में स्थानांतरित करने का प्रावधान जिस अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत है या नहीं उसकी सूचना दे। सूचना का फीस स्वरूप राशन कार्ड का छायाप्रति सलगन कर रहा हूँ जिसका नं 103771370023010900026.”

2. प्रदान की गई सूचना

“अपीलकर्ता की आर.टी.आई को पंजीकृत ही नहीं किया गया है।”

3. प्रथम अपील का आधार

“लोक सूचना पदाधिकारी केंद्रीय सूचना आयोग नई दिल्ली से सूचना अप्राप्त है जिसके विरुद्ध प्रथम अपील करता हूँ।”

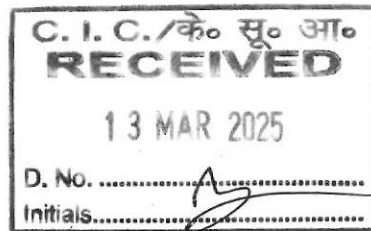
4. निर्णय

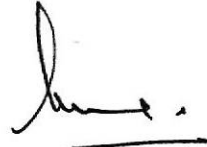
अपीलकर्ता ने पत्र दिनांक 30.12.2024 को एक पत्र भेजा था जिसके साथ अपीलकर्ता ने राशन कार्ड की कॉपी सलगन की है जो की आर.टी.आई की फीस के लिए मान्य नहीं है। जबकि "सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत सूचना पाने के लिए, 10 रुपये का आवेदन शुल्क देना होता है। यह शुल्क नकद, डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक, या भारतीय पोस्टल ऑर्डर के ज़रिए जमा किया जा सकता है। गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) आने वाले आवेदकों को कोई शुल्क नहीं देना होता।" इसलिए अपीलकर्ता के पत्र दिनांक 30.12.2024 को आर.टी.आई पंजीकृत नहीं किया है क्योंकि उसमें उचित फीस सलगन नहीं थी। इस कारण ही अपीलकर्ता को कोई जानकारी नहीं दी गई। अतः अपीलकर्ता को आर.टी.आई के तहत फीस जमा करानी होगी तभी उचित जानकारी प्रदान की जा सकती है।

5. तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है।

6. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश /निर्णय से संतुष्ट न हो तो अधिनियम की धारा 19 (3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति 90 दिनों के अंदर केंद्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।

निर्णय की दिनांक : 12.03.2025




रजिस्ट्रार & प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष : 011-26105021

प्रतिलिपि :

1.) केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

o/c


13-3-25